न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2021

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. इन्द्रसिह पुत्र जीवसिह
2. रूपकंवर पत्नि जीवसिह जातियान राजपुत निवासीयान करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कलु पत्नि हीरा
2. मृतक वगता पुत्र गेना के कायम मुकाम वारीसानः–
   2/1. जैसा पुत्र वगता
   2/2. बाबुलाल पुत्र वगता
   2/3. हरिया पुत्र वगता
   2/4. पंखु पुत्री वगता
   2/5. कमला पुत्री वगता
   2/6. प्यारी पुत्री वगता
   2/7. संगीता पुत्री वगता
   2/8. कपुरीदेवी पत्नि वगता
3. वचना पुत्र हीरा
4. बलवन्ता पुत्र हीरा
5. मृतक छोगा पुत्र गेना के कायम मुकाम वारीसानः–
   5/1.तोलाराम पुत्र छोगा
   5/2.सोनाराम पुत्र छोगा
   5/3.अंतरी पुत्री छोगा
   5/4.ऐवन पुत्री छोगा
   5/5.अजु पत्नि छोगा
6. छगना पुत्र हीरा
7. प्रताता पुत्र हीरा जातियान पुरोहित
8. गणपतसिंह पुत्र गीगसिंह जाति राजपुत निवासीयान करडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर
9. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा करडा
10. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 10 राजपेरोकार।

निर्णय

दिनांक – 18.01.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा यह कि सरहद मौजा करडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1816 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै. मु. रास्ता, खसरा नबंर 4019/1787 रकबा 2.90 हैक्टर जुमले रकबा 2.96 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खातेदारी आराजी खसरा नबंर 4019/1787 रकबा 2.90 हैक्टर व खसरा नबंर 1816 रकबा 0.06 हैक्टर के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या [illegible] की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1813 रकबा 5.51 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या [illegible] से 7 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1817 रकबा 0.26 हैक्टर की आई हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:51 IST
Reason: SelfAttested

2. उपरोक्त प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 4019/1787 व 1816 अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1813 रकबा 5.51 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1817 रकबा 0.26 हैक्टर की सीमा को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिए अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार द्वारा आदेश क्रमांक 20 दिनांक 16.06.2020 के तहत पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 25.6.2020 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु मौके पर आये तथा पैमाईश कर सीमा चिन्ह कायम करवाये गये लेकिन खातेदार असन्तुष्ट होने पर मौतबीरान के रूबरू मौका फर्द बनाई जाकर पढकर सुनाने के बाद हस्ताक्षर व अंगुष्ठान करवाये गये मौका फर्द दिनांक 25.6.2020 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं होने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के बीच उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गडढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

3. अतः प्रार्थना पत्र मय शपश पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा करडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1816 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नबंर 4019/1787 रकबा 2.90 हैक्टर जुमले रकबा 2.96 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1813 रकबा 5.51 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1817 रकबा 0.26 हैक्टर की पैमाईश करवा कर बीच की माठ पर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने हेतु कमेटी गठित कर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर न्याय हित में आदेश फरमावे।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 10 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.06.2020 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में बताया कि सीमाज्ञान करने पर पडौसी खातेदाराने पैमाईश के चिन्ह स्वीकार नही किये। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द अनुसार सीमाकंन से खातेदार असंन्तुष्ट होना प्रतित होता है। है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1816, 4019/1787, 1813 व 1817 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:51 IST
Reason: Self Attested

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद करड़ा पटवारी मण्डल करड़ा के खसरा नम्बर 1816, 4019/1787, 1813 ,1817 रकबा क्रमश 0.06, 2.90, 5.51, 0.26 हेक्टेयर की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु

एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:51 IST
Reason: SelfAttested